

फार्म
अचल सम्पत्ति विवरणिका वर्ष 2016

क्रमांक 03

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 31.12.2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम- सुधीर कुमार तिवारी
4. वर्तमान वेतन-रु 46170 + 7600 (Basic+GP)

2. वर्तमान धारित पद- सहायक अभियंता (सिविल)
5. भविष्य निधि क्रमांक-23960304

3. कार्यालय का नाम :- मुख्य अभियंता (अचला-निर्माण) जबलपुर
6. कर्मचारी संख्या - 85972162

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/ कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो, उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|--|---|------|-------------------|---|--|--------------------------|-----------|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (1) जबलपुर राइट टाउन | फ्लेट नं. 903/2 आदि कुज अपार्टमेंट राइट टाउन जबलपुर (550 वर्ग फीट) | - | 15 लाख (अनुमानित) | श्रीमति अंशु तिवारी, पति, जो कि बी. एस.एन.एल में कार्यरत हैं। | बी.एस.एन.एल से ग्रह श्रण लेकर खरीदा गया, फरवरी 1995, कीर्ति कन्सट्रक्शन, राइट टाउन जबलपुर | - | - |
| (2) जबलपुर, जे. डी.ए. स्कीम नंबर 14 विजय नगर जबलपुर | ग्रह भवन, प्लॉट नंबर 429 जे.डी.ए. स्कीम नंबर 14 विजय नगर जबलपुर, प्लॉट 2230 वर्ग फीट निर्मित 2500 वर्ग फीट | - | 50 लाख (अनुमानित) | स्वयं के नाम पर | जे.डी.ए. से वर्ष 1998-99 में प्लॉट खरीदकर, वर्ष 2005-06 में एल.आई.सी. एच.एफ.एल. से ग्रह श्रण लेकर भवन का निर्माण कराया गया। | - | - |

हस्ताक्षर
नाम - (सुधीर कुमार तिवारी)
पद- सहायक अभियंता (सिविल)

जहां लागू न हो काट दीजिये
... ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये
... इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं
टिप्पणी- मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र.शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वात्त की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) सम्पत्ति का विवरण देवे ।